संख्या-2/1418/30-4-2013-8(37)/13

प्रेषक,

राकेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
विन्ध्याचल मण्डल,
मीरजापुर।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

विषय:-कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की प्रभावशीलता में वृद्वि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-2174/वै0स0/13, दिनांक 09.05.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू होने के पूर्व जिस प्रकार कम्पाउन्डिग की शक्तियॉ प्राप्त थी उसी प्रकार पुन: शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग के मण्डल एवं जिला स्तर के अधिकारी, जिन्हें मोटरयान अधिनियम की विभिान्न धाराओं में अपराध शमन के अधिकार प्राप्त हैं, वे सीधे क्रमश: मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। यह भी अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी समय कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास मोटर अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित अपराधों को शमन करने का अधिकार नहीं रहा है। अत: उपरोक्त वर्णित स्थिति में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत शमन की शक्तियॉ प्रतिनिधायित किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

http://shrashadesh.up.nic.in